

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :- श्री हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 117/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024/117

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

- | | |
|--|--|
| <p>1. स्वर्गीय सुकीदेवी के कायम मुकाम
1/1 भोलाराम पुत्र स्व. सवाराम उम्र 60 वर्ष
1/2 फूलाराम पुत्र स्व. भेराराम पुत्र स्व. सवाराम उम्र 32 वर्ष
1/3 राणाराम पुत्र स्व. भेराराम पुत्र स्व. सवाराम उम्र 28 वर्ष
1/4 जवानाराम पुत्र स्व. सवाराम उम्र 52 वर्ष
1/5 दीपाराम पुत्र स्व. सवाराम उम्र 48 वर्ष
1/6 धीराराम पुत्र स्व. सवाराम उम्र 45 वर्ष निवासीगण वागोडा तहसील वागोडा जिला जालोर</p> | <p>1. मुकेश पुत्र अचलाराम जाति सोनार निवासी वागोडा तहसील भीनमाल जिला जालोर
2. स्व मदनलाल के कायम मुकामान:-
2/1 योगेश पुत्र स्व. मदनलाल उम्र 46 वर्ष
2/2 पंकज पुत्र स्व. मदनलाल उम्र 42 वर्ष निवासीगण वागोडा तहसील वागोडा जिला जालोर
3. घनश्याम पुत्र स्व. धर्माशंकर के कायम मुकामान:-
3/1 जेना पुत्र घनश्याम जाति श्रीमाली
3/2 विवेक पुत्र घनश्याम जाति श्रीमाली निवासीगण वागोडा तहसील वागोडा जिला जालोर
4. सरंपच ग्राम पंचायत वागोडा तहसील वागोडा जिला जालोर
5. राजस्थान जरिये तहसीलदार वागोडा जिला जालोर</p> |
|--|--|



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 45/2016 दिनांक

30.08.2019

उपस्थिति :-

1. श्री जामताराम पटेल, श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया, श्री पारसमल बराड़ा, विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1
3. श्री केराराम, शैलेन्द्र कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 2/1, से 3/2

:: निर्णय ::

- दिनांक:- 29.11.24
1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेण्ट्स संख्या एक की ओर से अंतर्गत धारा 20(2) के परन्तुक राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कलेक्टर, जालोर को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा बमुकदमा 45/2016 निर्णय दिनांक 30.08.2019 से व्यथित होकर अपीलाप्टस ने यह प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेसपोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।
3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाप्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाप्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी मुकेश कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20(2) के तहत प्रस्तुत किया गया जो कि अपीलार्थी के विरुद्ध कानूनन पोषणीय हीं नहीं हैं, क्योंकि उक्त प्रार्थना-पत्र उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है जिनको राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम के अधीन भूमि का आवंटन किया गया हो और उनके द्वारा उस आवंटन में उपबंधित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा आवंटन छल द्वारा मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि घनश्याम और मदन लाल पुत्रान् स्वर्गीय धर्माशंकर श्रीमाली से दिनांक 17.03.2005 को जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा खरीद की गई थी जो उनके पूर्वजों के कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि थीं। इस प्रकार जब उक्त भूमि किसी प्रकार से आवंटित हुई ही नहीं थी तो प्रत्यर्थी मुकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र अपीलार्थी के विरुद्ध कानूनन पोषणीय हीं नहीं हैं। इसी बिनाह पर अपीलाधीन आलौच्य निर्णय दिनांक 30.08.2019 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाप्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी मुकेश ने नामांतरण संख्या 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत चुनौती दी हैं एवं उक्त नियम गजट नोटिफिकेशन की तिथि से अर्थात् दिनांक 11.03.1971 से प्रभावी होने के कारण भूतलक्षित प्रभाव से लागू नहीं होते हैं। इसी बिनाह पर भी अपीलाधीन आलौच्य निर्णय दिनांक 30.08.2019 निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रत्यर्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित जमीन को जलागम का क्षेत्र बताने का कुप्रयास किया हैं एवं उक्त क्षेत्र से पानी इकट्ठा होकर तालाब में एकत्रित होने के कथन किये हैं। जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं हैं। वास्तव में उक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि है, जिस पर घनश्याम और मदन लाल के पूर्वजों का कब्जा काश्त व उनकी खातेदारी सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद में लगातार रही थी जो अपीलार्थी द्वारा खरीद करने तक बरकरार रही। सेटलमेन्ट से पूर्व से उक्त भूमि पर घनश्याम और मदन लाल पूर्वजों का कब्जा काश्त सम्बंधित तथ्य खसरा गिरदावरी विक्रम संवत् 2008 से 2016 से स्वतः स्पष्ट हैं। उक्त भूमि कभी जलागम क्षेत्र नहीं रही है और ना ही उक्त भूमि से वर्तमान में भी किसी तालाब में जल जाता है। वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अनुसार मौके पर किसी भी प्रकार का

प्रथम सेटलमेन्ट के पहले, उसके बाद और आज दिन तक पानी का भराव/बहाव नहीं रहा है। पत्रावली के संलग्न फोटो ग्राफ्स से मौके की वास्तविक भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि वक्त सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि का खसरा संख्या 659 था जो वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 651 के रूप में रूपांतरित कर दिया गया एवं वर्तमान समय में उक्त खसरा संख्या 651 को नये खसरा संख्या 1391, 1392, 1393 वगैरा में रूपांतरित कर दिया गया है जो पर्चा खतौनी विक्रम संवत् 2009 और भूमि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट हैं। वास्तव में उक्त भूमि पायतन नहीं होकर मूल रूप से चाही पंचम हैं जो कि वक्त सेटलमेन्ट के पहले के खसरा मौजा विक्रम संवत् 1999 एवं खसरा गिरदावरी विक्रम संवत् 2008 से 2016 से स्पष्ट है। वक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों की त्रुटि की वजह से गलत तरीके से उक्त भूमि पायतन अंकित कर दी गई थी, जबकि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि पर धर्माशंकर श्रीमाली का ही कब्जा काशत एवं खातेदारी निरन्तर रही हैं जो कि उस समय की खसरा गिरदावरी एवं लगान रसीदों से स्पष्ट है। जहां तक प्रश्न नामान्तरण संख्या 156 व 157 में उक्त भूमि का रेगुलाइज किया जाना अंकित होने का है तो उस संबंध में निवेदन है कि स्वर्गीय धर्माशंकर श्रीमाली द्वारा दिनांक 05.12.1959 को उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा उक्त भूमि को गलत तरीके से सेटलमेन्ट के समय पायतन दर्ज होने को सुधारकर स्वयं के खातेदारी की घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत कर अपने पक्ष में दावा डिक्री कवाया गया था, जिसके वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार है। उक्त तथ्य वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार की मिसल के उपलब्ध रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है। 1993 में भीनमाल में बाढ़ आने की वजह से न्यायालय का अधिकांश रेकॉर्ड नष्ट हो गया था जो कि शेष उपलब्ध था उसकी फोटो प्रति संलग्न हैं। तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से को मदनलाल व घनश्याम के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। अपीलार्थी सदभाविक केता हैं और वक्त खरीद से उक्त भूमि का कब्जा काशत खातेदार हैं। इसी बिनाह पर अपीलाधीन आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी मुकेश कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं को बागोडा का निवासी बताया है जबकि वह भीनमाल के नरता गांव का रहने वाला है जो कि बागोडा से करीब 40 किमी दूर है। इस प्रकार प्रत्यर्थी मुकेश कुमार माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और उक्त प्रार्थना पत्र अपीलार्थी को तंग वह परेशान कर गलत वह गैर कानूनी तरीके से बेजा व अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है। इस बिनाह पर भी अपीलाधीन आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस प्रकरण में अपीलार्थी सुकी देवी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस/सम्मन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन तामील कुलींदा द्वारा गलत तरीके से सम्मन पर अपीलार्थी द्वारा सम्मन नहीं लेने से इन्कार करने का नोट डाला गया है। उक्त टिप्पणी दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी पर सम्यक तामील नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आलौच्य आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसे गलत तरीके से अनुपस्थित बता कर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व कानूनन गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा कभी भी उक्त भूमि का लगान संदाय नहीं किया गया है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि सेटलमेंट से पूर्व व बाद अपने जीवनकाल में धर्माशंकर श्रीमाली द्वारा, उनके पुत्रों द्वारा तथा वक्त खरीद के बाद से ही उक्त भूमि की लगान निरन्तर रूप में अपीलार्थी जमा कराते आ रहा है। यहां कागजों की बहुलता (Bulkiness of papers) से बचने के लिये कुछ आवश्यक लगान की रसीदे प्रस्ती की गई हैं। प्रत्यर्थी मुकेश ने नामांतरण संख्या 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत दिनांक 05.09.2016 को करीब 48 वर्ष के बाद चुनौती दी है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर उक्त प्रार्थना-पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने से काबिले खारिज हैं।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने वहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 विधि के अनुसार होने अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि नियम 20(2) के अनुसार आवंटन पर ऐसा अतिक्रमी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन की शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार उसी प्रकार प्रोदुभूत होंगे, जैसे कि उसे इन नियमों के अधीन आवंटन हुआ है।

परन्तु यह कि जहां उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा किया गया नियमन, कपट या मिथ्या व्यापन से या नियमों के विपरीत कराया गया हो तो कलेक्टर की स्वप्रेरणा से या किसी के आवेदन पर ऐसा नियमन निरस्त करने की शक्ति होगी।

इस प्रकार प्रत्यर्थी मुकेश का अपीलार्थी के बेचानकर्ता का नियमन आदेश निरस्त करने का प्रार्थना पत्र बखूबी उपरोक्त वर्णित प्रावधान की परीधी में आता है अपीलार्थी आदेश उपरोक्त प्रावधानों में शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को घनश्याम और मदनलाल ने सार्वजनिक उपयोग की पायतन भूमि का बेचान करके कोई हानि पहुंचाई है तो उसके लिए अपीलार्थी भूमि का दावा/अपील नहीं कर सकता है उसको केवल बेचानकर्ता घनश्याम और मदनलाल के विरुद्ध हर्जाने का दावा करने का अधिकार रहता है। इस प्रकार अपीलार्थी इन आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं होने से इसकी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी की ओर से आलोच्य नामांतरकरण संख्या 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को राज० भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 लागू नहीं होने का गलत कारण दिया है जबकि (निरस्त नियम) राज० भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1957 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा किए गए आवंटन एवं नियमन आदेशों को उक्त 1970 के नियमों के तहत चुनौती दिये जाने का नियम 14(4) व नियम 20(2) के परन्तुक में प्रावधान किए गये हैं, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए आक्षेपित दोनों नामांतरकरण को निरस्त किए जाने का आदेश

पारित किया है इस प्रकार अपीलार्थी का उपरोक्त कथन पूर्णतया गलत साबित होता है जो निरस्तनीय है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी का विवादित भूमि जलागम क्षेत्र नहीं होने का कथन पूर्णतया गलत है जबकि अपीलार्थी स्वयं द्वारा जो विवादित भूमि का रेकॉर्ड पर्चा खतौनी सन् 1952 संवत् 2009 की नकल प्रस्तुत की गई जिसमें विवादित भूमि पायतन दर्ज है पायतन जलागम क्षेत्र होता है इसके अलावा अपीलार्थी के बेचानकर्ता घनश्याम व मदनलाल या उनके पूर्वज के नाम जमाबंदी या खतौनी जिसमें भूमि का रेकॉर्ड ऑफ राईट्स दर्ज किया जाता है का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से बहुत पहले से विवादित भूमि पायतन दर्ज है जिसकी खातेदारी प्रदान करने में उसकी धारा 16 वर्जित करती है आलोच्य नामांतरकरण सं. 156 व 157 अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन में आते हैं जिनको विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किए हैं।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है वह द्वितीय सेटलमेंट में बनाए गए खसरों का जो वर्ष 1989 से वर्ष 2009 के सेटलमेंट के है जिसमें भू प्रबंध विभाग के फॉर्म में स्पष्ट रूप से तारीख लिखी हुई है तथा उक्त फॉर्म में जो संवत् का वर्णन किया गया है वह पूर्व में छपे छपाये फॉर्म पर लिख दिया गया है जिसको अपीलार्थी की ओर से विक्रम संवत् 2009 का होना गलत वर्णित किया है जिसकी प्रविष्टी नामांतरकरण सं. 156 व 157 के बाद की है जिससे अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से जानबूझ कर गलत तथ्य वर्णित किए हैं जो अपीलार्थी का आधार निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी की ओर से विवादित भूमि दावा सं 258/1960 बअनवान धर्माशंकर बनाम सरकार दिनांक 05.12.1959 को प्रस्तुत कर खातेदारी की डिक्री प्राप्त करने का तथ्य पूर्णतया गलत प्रस्तुत किया है यदि उक्त डिक्री उक्त समय में जारी की जारी तो वह राजस्व रेकॉर्ड में अवश्य दर्ज होती जबकि उक्त धर्माशंकर ने नामांतरकरण सं 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को रेगुलराईज होना बताकर दर्ज करवाया है। रेगुलराईज का आदेश अपीलार्थी द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त दावे का वर्णन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व उनके बेचानकर्ता व उनके पूर्वजों के नाम से कोई भूमि का रेगुलराईज आदेश नहीं है तथा भूमि पायतन की होने से रेगुलराईज की भी नहीं जा सकती है, इस कारण अपीलार्थी की अपील निरस्तनीय है। अपीलार्थी की ओर से जो गिरदावरी की जो नकलें प्रस्तुत की है उससे भी अपीलार्थी का कोई आधार नहीं बनता है। गिरदावरी से भी किसी को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी मुकेश का प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत होने का जो कारण दिया है वह पूर्णतया गलत है जब घनश्याम व मदनलाल व उनके पूर्वज के नाम से बिना रेगुलराईज आदेश के जो नामांतरकरण सं. 156 व 157 दर्ज किए गए हैं इस प्रकार के आदेशों के विरुद्ध म्याद लागू ही नहीं है न घातक है। चूंकि भूमि जलागम क्षेत्र पायतन की भूमि है जो रेगुलराईज के लिए वर्जित है। जिसकी खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है मान्य उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान के केस में जलागम क्षेत्रों के रेकॉर्ड को पूर्ववत् बहाल करने का सिद्धांत पारित किया है जो वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है इस प्रकार अपीलार्थी की अपील सारहीन

29.11.24
अतिरिक्त सहायक आयुक्त
(राज.)

होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे तथा नामांतरकण संख्या 156 व 157 को निरस्त किया जाकर उसके परिणामस्वरूप दर्ज की गई राजस्व रेकॉर्ड समस्त प्रविष्टियों को निरस्त किए जाने एवं उसकी पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने का आदेश फरमावे।

6. बहस के दौरान रेस्पोंडेंट संख्या 2/1 से लगायत 3/2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उक्त भूमि हमारे पिताजी स्वर्गीय धर्माशंकर श्रीमाली से दिनांक 17.03.2005 को जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा खरीद की गई थी, जो भूमि हमारे पूर्वजों के कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि थीं। स्वर्गीय धर्माशंकर श्रीमाली द्वारा दिनांक 05.12.1959 को उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा उक्त भूमि को गलत तरीके से सेटलमेन्ट के समय पायतन दर्ज होने को सुधारकर स्वयं के खातेदारी की घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत कर अपने पक्ष में दावा डिक्री कवाया गया था, जिसके वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार है। वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार की मिसल के उपलब्ध रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है। 1993 में भीनमाल में बाढ़ आने की वजह से न्यायालय का अधिकांश रेकॉर्ड नष्ट हो गया था। उक्त कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से को मदनलाल व घनश्याम के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। अपीलार्थी सद्भाविक केता हैं और वक्त खरीद से उक्त भूमि का कब्जा काश्त खातेदार हैं। इसी बिनाह पर अपीलाधीन आलौच्य आदेश निरस्त करने योग्य हैं।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। जिसमें निम्न बिन्दु परिलक्षित हुए—

- I. मौजा बागोडा के नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 07.06.68 के कॉलम संख्या 14 में "जरिये रेगुलाईज" अंक कर आलौच्य भूमि का खसरा नंबर 791/651 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिला कब्जा राज. सरकार को धरमाशंकर पुत्र केसूरामजी कौम श्रीमाली सा.देह के नाम अंकन करना प्रस्तावित कर बाद जांच सरपंच ग्राम पंचायत बागोडा द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया था।

उक्त नामान्तरकरण पर दर्ज करने वाले पटवारी हल्के के हस्ताक्षर व नाम तथा पटवारी हल्का की टिप्पणी रिपोर्ट भी अंकित नहीं है। उक्त कार्यवाही किस वैध आधार/रेगुलाईजेशन आदेश के आधार की गई है ? का कोई व्यौरा नामान्तरकरण संख्या 157 पर अंकित नहीं किया गया एवं सरकारी भूमि किसी व्यक्ति के नाम अन्तरित करने हेतु नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सरपंच द्वारा बिना अधिकारिता के की गई है। इस तरह की कार्यवाही हेतु तहसीलदार ही विधिक रूप से सक्षम अधिकारी थे।

- II. हस्तगत अपील के अपीलाण्टगण मूलतः खसरा नंबर 791/651 के नये खसरा नंबर 1392, 1393, 1393/1617 के वर्तमान खातेदार उक्त धर्माशंकर पुत्र केसू श्रीमाली जो सरपंच थे से वर्ष 2005 से क्रेतागण है, जिनको अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, यह हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।



वस्तुतः हस्तगत अपील के अपीलार्थी केतागण, विक्रतागण जिनके पक्ष में वर्ष 1968 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 157 कथित रूप से रेगुलाईज हुआ है, से ज्यादा अच्छे स्वत्व एवं अधिकार transfer of property act 1882 के प्रावधानों के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

III. अब्दुल रहमान प्रकरण डी.वी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2004 में निर्णय पारित किया गया कि " All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc as on 15-08-1947 should be declared as govt. land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly."

हस्तगत प्रकरण की भूमि भी संवत् 2011 की जमाबंदी मिसल में पायतन भूमि के रूप में सरकारी भूमि अंकित थी। जिसे किसी भी निजी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी कार्यवाही में यदि कथित रूप में "रेगुलाईज" भी किया है तो यह कार्यवाही विधि शुन्य मानी जायेगी।

इस क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से डिक्री होने का उल्लेख कर कुछ दस्तावेज पेश किये हैं जो शामिल पत्रावली हैं, परन्तु इसमें कोई भी अदालती निर्णय अथवा डिक्री की प्रति नहीं है एवं यदि यह कार्यवाही हुई भी है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित सामान्य दिशा निर्देश दिनांक 02.08.2004 के क्रम में दिनांक 15.08.47 को जलसंबंधी समस्त भूमियां राज्य सरकार के नाम ही दर्ज किये जाने के आदेश उपरान्त विधिक स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो गई है।

IV. इस संबंध में वकील रेस्पोंडेण्ट्स संख्या एक द्वारा एक विधिक दृष्टांत आरआरटी 2013(1) पेज न. 436 प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार यदि सरकारी भूमि को अविधिक प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज कर दी गई तो ऐसे मामले में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को घातक नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2013(1) पेज नंबर 436 प्रस्तुत किये गये हैं जो विचाराधीन प्रकरण पर चर्चा होते हैं।

V. मिसल खतौनी संवत् 2011 अनुसार भूमि खसरा नंबर 651 कुल रकबा 292 बीघा जिसमें आलौच्य रेगुलाईज खसरा नंबर 791/651 रकबा 32.10 बीघा भी सम्मिलित है, की किस्म गै.मू. पायतन है। साथ ही इस भूमि से चिपती हुई भूमि खसरा नंबर 650 गै.मू. तालाब व खसरा नंबर 648 एवं 649 गै.मू. थान (मंदिर) है। इस सम्पूर्ण भूमि के संबंध में रेस्पोंडेण्ट द्वारा राजस्व नक्शा भी पेश किया गया है जिसको एक दृष्टि समग्रता से देखने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आलौच्य भूमि तालाब का कैचमेण्ट एरिया का ही भाग है। इस प्रकार इस भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को पायतन भूमि मानते हुए राज्य सरकार के



नाम दर्ज करने का निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

यह आलौच्य भूमि मूलतः गै.मु. पायतन है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस पर कोई आवंटन/नियमन/ खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

- VI. राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 के नियम 14(4) में कलेक्टर को ऐसे किसी भी आवंटन को निरस्त करने की विधिक शक्तियां हैं एवं हस्तगत प्रकरण में न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः सद्भाविक है एवं रेगुलाईजेशन की कार्यवाही जरिये नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 07.03.1968 कर्तई पोषणीय नहीं है। अतः नामान्तरकरण संख्या 157 निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 30.08.2019 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2019 की पालना जिला कलेक्टर जालोर एवं संबंधित तहसीलदार द्वारा तत्काल सुनिश्चित किये जाने हेतु न्यायालय हाजा के निर्णय की प्रति उन्हें भिजवाई जाकर पालना सुनिश्चित करावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फ़ैसल होकर बाद तामील एवं तकमाल दाखिल दफ्तर की जाये।

29.11.24
अतिरिक्त सभाधीन आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास में सुनाया गया।

29.11.24
अतिरिक्त सभाधीन आयुक्त
पाली (राज.)

